न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/120/2025 रजू दिनांकः 12.08.2025 रजि0 न0 2025/315

अपीलार्थीः–	**प्रत्यर्थीः–**
श्री लोकेश धारवाल निवासी 19, शान्ति निकेतन, सेन्ट असलम स्कूल के पास, मुंगस्का, अलवर जिला अलवर राज0–301001	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 08.09.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र (अपील में दिनांक वर्णित नहीं है और ना ही आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है) के संबंध में प्रत्यर्थी के विनिश्चय पत्रांक 6084, 6082, 6083, 6081, 6085 दिनांक 24.07.2025 के विरूद्ध या असंतुष्ट होने पर अपील प्रा0पत्र दिनांक 29.07.2025 को पेश किया गया है।।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.08.2025 को उपस्थित आवें।
3. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक 7708 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा 280/25 दिनांक 11.06.2025 को सूचना के अधिकार अधि0 के तहत सूचना चाही गई। वांछित सूचना के संबंध में पत्रांक 6084 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रत्यर्थी के पांच विनिश्चय पत्रों के विरूद्ध पेश की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रथम आवेदन की प्रति पेश नहीं की गई है। **किन्तु अपीलार्थी द्वारा ही अपील के संलग्न कर पेश पांचों विनिश्चय पत्रों में वर्णन है कि "आवेदन में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाही गई सूचना में दिनांक/वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, जो विशिष्टिहीन है एवं आवेदन में तृतीय पक्षकार द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के कारण तृतीय पक्ष से संबंधित है।"** उक्तानुसार प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. **अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।**
6. निर्णय आज दिनांक 08.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)